तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जिला जोधपुर** **राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 50/2023 (2023/151)** **अनवान मिश्रीलाल बनाम पूनाराम वगैरा** **प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू-राजस्व अधिनियम**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10-3-2026	पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी की खातेदारी की कब्जा काश्त सुदा कृषि भूमि वाके राजस्व ग्राम खाराबेरा पुरोहितान तहसील लूणी जिला जोधपुर में खसरा संख्या 868 कुल रकबा 2.3715 हैक्टेयर आयी हुई स्थित है जिस पर प्रार्थी बहैसियत खातेदार के मालिक काबिज हैं एवं उक्त खसरें पर काश्त करता है। प्रार्थी की कृषि भूमि के पड़ौस में अप्रार्थीगण संख्या एक व दो की खातेदारी की कृषि भूमि आयी हुई स्थित है। जिसके खसरा संख्या 872 कुल रकबा 2.5981 हैक्टेयर है। प्रार्थी की उक्त खसरा संख्या 868 के अलावा भी खसरा संख्या 866 एवं 870 खातेदारी की कृषि भूमियां है। प्रार्थी की उक्त खसरा संख्या 868 की माठों को लेकर बारीश के मौसम में खेती बुवाई के समय अप्रार्थी संख्या एक व दो अनावश्यक ही विवाद करते है। प्रार्थी ने उप तहसीलदार गुड़ा विश्नोईयान के आदेश क्रमांक/भू.अ./2023/115-116 दिनांक 12.04.2023 की पालना में टीम गठित की जाकर दिनांक 19.04.2023 को राजस्व नक्शा अनुसार सीमाज्ञान करवा दिया गया। उक्त सीमाज्ञान के वक्त अप्रार्थी संख्या एक व दो को भी मौके पर बुलाया गया एवं उसकी मौजूदगी में ही उक्त तीनो खसरान की कृषि भूमियों का नक्शें अनुसार सीमाज्ञान करवाया गया जिस पर खसरा संख्या 868 की दक्षिणी माठ नक्शें अनुसार खसरा संख्या 872 के खातेदार अप्रार्थी संख्या एक व दो द्वारा कायम नहीं करने दी गयी एवं नक्शें अनुसार माठों के निशान पुख्ता करने से मना कर दिया। इसलिये प्रार्थी स्थायी सीमाचिन्हो की पत्थरगढी करवाकर खसरा संख्या 868 एवं खसरा संख्या 872 की मध्य माठ की नक्शें अनुसार एवं मौका फर्द दिनांक 19.04.2023 अनुसार पत्थरगढ़ी किये जाने का निवेदन किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। परन्तु अप्रार्थी संख्या एक एवं दौ की और से कोई उपस्थित नही है। पत्रावली पर अधिवक्ता की बहस सूनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार लूणी से जांच रिपोर्ट प्राप्त की गई जो शामिल मिसल की गई। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू-राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाता है। ग्राम खाराबेरा पुरोहितान तहसील लूणी जोधपुर के खसरा संख्या 868 एवं खसरा संख्या 872 कृषि भूमि की पड़ौसी खातेदारान की उपस्थिति में सीमांज्ञान करवाकर बाद राजस्व नक्शें अनुसार एवं मौका फर्द दिनांक 19.04.2023 अनुसार पत्थरगढी करने का आदेश तहसीलदार लूणी को दिया जाता है। आदेश लिखवाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों। सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी, लूणी	